उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

विविध (प्रतिबंधित सूची से मुक्त संबंधी) वाद संख्या संख्या–38/2018

महावीर पासवान

–बनाम–

राज्य, अंचल अधिकारी, कटकमदाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
दिनांक :- 04/01/23	प्रस्तुत मामला महावीर पासवान पिता–स्व0 जानकी पासवान द्वारा मौजा सिरसी–II के खाता संख्या–186 प्लॉट संख्या–265 रकबा 0.08 एकड़ रैयती भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने संबंधित आवेदन दाखिल किये जाने से संबंधित है। आवेदन पत्र पर सुनवाई हेतु आवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। साथ ही सरकार का पक्ष रखने हेतु अंचल अधिकारी, कटकमदाग को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्राप्त है। दोनों पक्ष उपस्थित हुए। अंचल अधिकारी, कटकमदाग का पत्रांक 21 दिनांक 07.01.2019 द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि :– मौजा–सिरसी II थाना संख्या–121, खाता संख्या–186 प्लॉट संख्या–265 रकबा 12 डिसमिल भूमि सर्वे खतियान में बिहारी दुसाध पिता धनी दुसाध, जाति दुसाध के नाम से रैयती दर्ज है। पंजी II के पृष्ट संख्या–195 भाग संख्या–V में खाता संख्या–186 प्लॉट संख्या–262 रकबा–08 डिसमिल की जमाबंदी दाखिल खारिज वाद संख्या–20/95–96 के द्वारा स्वीकृत होकर महावीर पासवान पिता–जानकी पासवान के नाम से कायम है। लगान रसीद वर्ष 2011–12 तक निर्गत है। खाता सं0–196 प्लॉट संख्या 324 एवं 962 गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है, जो प्रतिबंधित सूची में दर्ज है। भूलवश खाता संख्या–196 के स्थान पर खाता संख्या–186 दर्ज हो गया है। अंचल अधिकारी, कटकमदाग के द्वारा प्रश्नगत भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने हेतु अनुशंसा किया गया है।	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, हजारीबाग के पत्रांक 161, दिनांक 05.01.2019 द्वारा खतियान का सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–सिरसी–II, थाना संख्या–121, खाता संख्या–186, प्लॉट सं0–265, रकबा–0.08 एकड़ भूमि से संबंधित खतियान का नुकसान हो गया है।

संबंधित मामले की सुनवाई विभिन्न तिथियों में किया गया। आवेदक द्वारा अपने पक्ष में निम्न कागजात प्रस्तुत किया गया है:–

01. केवाला संख्या–6518 दिनांक 31.05.1995 की छायाप्रति।
02. लगान रसीद वर्ष 2008–09 से वर्ष 2011–12 तक का छायाप्रति।
03. ऑनलाईन खतियान की छायाप्रति।
04. नक्शा की छायाप्रति।

अतः अंचल अधिकारी, कटकमदाग एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, हजारीबाग तथा उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा विभिन्न तिथियों में की गई सुनवाई में पाये गये तथ्यों से स्पष्ट होता है कि:–

(i) मौजा–सिरसी II थाना संख्या–121, खाता संख्या–186 प्लॉट संख्या–265 रकबा 12 डिसमिल भूमि सर्वे खतियान में बिहारी दुसाध पिता धनी दुसाध जाति दुसाध के नाम से रैयती दर्ज है।

(ii) प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी दाखिल खारिज वाद सं0–20/95–96 द्वारा स्वीकृत होकर पंजी II के पृष्ट संख्या–195 भाग संख्या–V में महावीर पासवान पिता–जानकी पासवान के नाम से कायम है। लगान रसीद वर्ष 2011–12 तक निर्गत है।

(iii) उक्त भूमि आवेदक को केवाला संख्या–6518 दिनांक 31.05.95 के द्वारा प्राप्त है।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

(iv) ग्राम सिरसी के खाता संख्या –196 प्लॉट संख्या 324 वो 962 गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। गैर मजरूआ खास खाता संख्या–196 के स्थान पर खाता संख्या–186 (प्रतिबंधित सूची) में दर्ज हो गया है, जो रैयती भूमि है जो बिहारी दुसाध के नाम सर्वे खतियान में दर्ज है।

(v) अंचल अधिकारी, कटकमदाग के द्वारा प्रश्नगत भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

दोनों पक्षों को सुनने एवं अंचल अधिकारी, कटकमदाग के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयती प्रतिवेदित है। भूमि को प्रतिबंधित सूची में रखने का कोई आधार नहीं है।

अतः अंचल अधिकारी, कटकमदाग के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा, अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग की अनुशंसा, वादी के अभिकथन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रश्नगत भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

14/1/23

उपायुक्त, हजारीबाग।

14/1/23

उपायुक्त, हजारीबाग।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

Digitally signed by NANCY SAHAY
Date: 2024.07.13 17:17:48 +05:30
Location: 192.168.1.3